बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
प्रबंध निदेशक,
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगत लि०(बुडको)
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य आवास बोर्ड।
नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद / नगर पंचायत
सचिव,
भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण (REAT)
सचिव,
भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA)

पटना, दिनांक-.....

विषय: **बिहार खरीद अधिमानता नीति-2024 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग: **वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-8550 दिनांक 07.08.2024 (यथा अधिसूचना संख्या-4053 दिनांक 01.05.2026 द्वारा संशोधित)**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सम्पूर्ण राज्य में वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति में स्थानीय औद्योगिक इकाईयों / उद्यमों को प्राथमिकता देने हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-8550 दिनांक 07.08.2024 (यथा अधिसूचना संख्या-4053 दिनांक 01.05.2026 द्वारा संशोधित) द्वारा बिहार खरीद अधिमानता नीति-2024 प्रभावी है (**छायाप्रति संलग्न**)। उक्त के आलोक में वित्त विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि विभाग के अधीनस्थ सभी संस्थानों को अपनी निविदाओं में लागू करने हेतु निदेशित किया जाय, ताकि अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में उक्त नीति के अनुसार स्थानीय आद्योगिक इकाईयों / उद्यमों को देय अधिमानता का लाभ प्रदान किया जा सके।

2. विषयांकित नीति का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के स्थानीय औद्योगिक इकाईयों / उद्यमों के उत्पादों एवं सेवाओं को प्राथमिकता दिया जाना है, ताकि राज्य में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित हो सके एवं राज्य में स्थापित उद्यमों को बढ़ावा मिल सके।

3. संलग्न 'बिहार खरीद अधिमानता नीति-2024' के मुख्य अवयव निम्नवत हैं:-

(क) संलग्न नीति के कंडिका-5 (क) एवं (ख) के अनुसार यह नीति वस्तुओं एवं सेवाओं, दोनो पर लागू होगी।

(ख) नीति के कंडिका-6 (2) के अनुसार वस्तुओं से संबंधित खरीद के लिये स्थानीय उद्यम बिहार में निबंधित होने चाहिए तथा बिहार में ही उसके उत्पादन की सुविधा अवस्थित होनी चाहिए।

(ग) नीति की कंडिका- 8 के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद अधिमानिता का अन्तर (Margin) 15 प्रतिशत होगा। इस संबंध में नीति की कंडिका 10 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सेवाओं की खरीद के लिये नीति की कंडिका-11 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

(घ) नीति की कंडिका-13 में विशेष श्रेणी के स्थानीय उद्यमों के लिये अधिमानताओं (Preference) का उल्लेख किया गया है जिसमें निविदा का सेट मुफ्त में उपलब्ध कराने, निविदा के लिये प्रतिभूति राशि के भुगतान से छूट, वार्षिक बिक्री (Annual Turnover) या कम्पनी की आयु एवं अनुभव के मानदंडों में 50 प्रतिशत की सशर्त छूट आदि शामिल है। साथ ही मनोनयन या सीमित निविदा के आधार पर स्टार्ट-अप इकाईयों को खरीद के लिये भी विशेष प्रावधान किये गये हैं।

4. अतः अनुरोध है कि संलग्न 'बिहार खरीद अधिमानता नीति-2024' से संबंधित अधिसूचना संख्या-8550 दिनांक 07.08.2024 (यथा अधिसूचना संख्या-4053 दिनांक 01.05.2026 द्वारा संशोधित) का स्वयं, सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करते हुए अपने नगर निकायों / संस्थाओं में वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद प्रक्रिया में इसे अविलम्ब लागू किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक: – 06/न०वि०ले० (विविध)- 07/2026 ~~2705~~ 7505 न०वि० एवंआ०वि०/ दिनांक 20/7/26

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, वित्त विभाग / सभी विभागीय पदाधिकारी / अभियंताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/26
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।